न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/50 **दायरा दिनांक : 24.03.2021**

उनवान

चमेली बाई पुत्री रतनलाल, आयु 52 साल, जाति जाटव, निवासी महेशपुरा, तहसील छबडा पत्नी श्री प्रेमचन्द, जाति जाटव हाल निवासी नानाखेडी सेन्ट्रल स्कूल के पास गुना, जिला गुना मध्यप्रदेश .... अपीलांट

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र औंकार लाल, जाति जाटव (मृतक)
   1/1. श्यामलाल पुत्र भैरूलाल, आयु 54 साल
   1/2. देवकरण पुत्र भैरूलाल, आयु 40 साल
   1/3. पूरणमल पुत्र भैरूलाल, आयु 37 साल
   1/4. ललित कुमार पुत्र भैरूलाल, आयु 34 साल
   1/5. इमरती बाई पत्नी स्वर्गीय भैरूलाल, आयु 74 साल, जाति जाटव, निवासीगण आचोली महेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
2. सत्यनारायण पुत्र दौलत सिंह
3. छत्रसिंह पुत्र दौलत सिंह
4. सीताबाई पुत्री दौलत सिंह
5. राज कुमारी पुत्री दौलत सिंह
6. गीता बाई पुत्री दौलत सिंह
7. पुष्पा बाई बेवा दौलत सिंह
   जाति जाटव, निवासीगण आचोली महेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
8. देवीसिंह पुत्र रतनलाल, जाति जाटव, निवासी सिविल लाईन के पास तालाब गुना, जिला गुना मध्यप्रदेश
9. गजराज सिंह पुत्र रतनलाल जाटव
   9/1. परवेश पुत्र गजराज, आयु 19 साल
   9/2. वर्षा पुत्री गजराज, आयु 21 साल
   9/3. ममता पुत्री गजराज, आयु 32 साल
   9/4. उर्मिला बाई पत्नी स्व0 गजराज, आयु 21 साल
   9/5. सालिनी पुत्री गजराज, आयु 14 साल नाबालिग जर्ये वली माता स्वयं उर्मिला बाई पत्नी स्व0 गजराज, जाति जाटव, निवासी आचोली, तहसील छबडा, जिला बारां हाल करनलगंज गुना, जिला गुना मध्यप्रदेश
10. विनोद कुमार पुत्र रतनलाल, जाति जाटव, निवासी आचोली, तहसील छबडा, जिला बारां हाल करनलगंज गुना जिला गुना मध्यप्रदेश
11. गब्बर सिंह पुत्र रतनयलाल, जाति जाटव, निवासी आचोली महेशपुरा, तहसील छबडा, हाल निवासी मुल्तनपुरा बाई पास शंकर भगवान के मन्दिर के पास गुना, जिला गुना मध्यप्रदेश
12. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा कोटडी, तहसील छबडा, जिला बारां
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राजस्थान .... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मदन लाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 15.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 63/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 8 से 11 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण के दादा ऊंकार के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 343/1 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके माल आंचोली, पटवार हल्का गुगोर, तहसील छबडा, जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने अर्थात आवश्यक पक्षकार अपीलांट एवं अन्य को पक्षकार नहीं बनाया गया, उसके बावजूद वाद का निर्णय वादी के पक्ष में वाद डिक्री करने में भारी भूल की है, अस्तु निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। वाद पैत्रृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा व बंटवारे से सम्बन्धित था तथा वादग्रस्त सम्पत्ति कृषि आराजी पूवजों से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें रतनलाल पुत्र औंकार के हिस्से के वारिस वादीगण देवीसिंह, गजराज सिंह, विनोद कुमार, गब्बर सिंह पुत्रगण चमेली, आशावती एवं सुखी उर्फ रानी पुत्रियां कुल 7 वारिस हैं, परन्तु वाद केवल देवीसिंह, गजराज सिंह, विनोद कुमार व गब्बर सिंह द्वारा स्वयं को उनके पिता के हिस्से का अधिकारी बताकर पेश किया गया है, तीनों बहिनों को न तो वादी बनाया गया है और न ही प्रतिवादी बनाया है, जबकि तीनों बहिने वादी के साथ साथ पिता की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी व नालिशी है। वादी व प्रतिवादी ने सांठ–गांठ करके मिली भगत से उक्त वाद पेश किया है कि सहमति से वाद डिक्री करवाया है ताकि बहिनों को अपने हको से वंचित किया जा सके एवं अपने नाम खातेदारी में दर्ज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करवा कर जमीन को खुर्द बुर्द कर सके जिसका वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में रेकार्ड पर यह जानकारी आ गयी थी कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है एवं पक्षकारों के असंयोजन का दोष है, फिर अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न करके विधि व प्रकिया के प्रावधानों के विरूद्ध वाद डिक्री करने में भारी भूल की है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है एवं स्वर्गीय रतनलाल के हिस्से में अपीलांट एवं अन्य बहिने आशावती व सुखी उर्फ रानी भी हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है, परन्तु हमें पक्षकार ही नहीं बनाया, सुनवायी का अवसर नहीं दिया एवं मिथ्या कथन वादी पर विश्वास करके त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को सुनवाई हेतु एवं अपीलांट व अन्य बहिनों को वाद में पक्षकार बनाया जाकर पुनः सुनवाई कर अपना हिस्सा दिलाने हेतु युक्तियुक्त निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.02.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 8 से 11 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.07.2019 को डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में चमेली को पक्षकार नहीं बनाया गया। हम विवादित आराजी के वैध वारिस हैं हमे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। वादग्रस्त आराजी में रतनलाल के हिस्से पर पुत्रों के साथ पुत्रियों का भी हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में हमें सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे और प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 8 लगायत 11 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दावा पेश कर कथन किया है कि वादीगण के दादा औंकार के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 316 रकबा 8.12 बीघा, खसरा नं. 343/1 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नं. 344 रकबा 1.04 बीघा कुल किता 3 रकबा 14.10 बीघा भूमि वाके माल आचौली, पटवार मण्डल गूगौर, तहसील छबडा में अवस्थित है। वादीगण के दादा औंकार के तीन पुत्र थे। उक्त वर्णित आराजी का औंकार के तीनों पुत्रों में बराबर–बराबर विभाजन होना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियान की गलती से औंकार की आराजी में केवल दो पुत्र दौलत सिंह एवं भैरू का नाम ही दर्ज किया एवं रतनलाल का नाम दर्ज होने से रह गया जिसे वादीगण रेस्पोडेंट कम 8 लगायत 11 अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2019 से वादीगण का वाद डिक्री कर निर्णय पारित किया कि मृतक औंकार ने अपने जायदा पुत्र रतनलाल को छोड़कर दो पुत्रों के नाम अपनी पैतृक सम्पत्ति खाते दर्ज करवा दी गई परंतु रतनलाल का नाम छोड़ा जाना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत न्यायोचित नहीं है। अतः औंकार के तीसरे पुत्र रतनलाल भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम आचौली, तहसील छबडा की कुल किता 3 कुल रकबा 14.10 बीघा भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/3 – 1/3 पृथक–पृथक विभाजन कर, विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 से अप्रसन्न होकर रतनलाल की पुत्री चमेली बाई अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई है। जिसमें अपीलांट चमेली बाई द्वारा अपनी अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद पैतृक सम्पति के संबंध में घोषणा व बंटवारे से संबंधित था तथा वादग्रस्त आराजी पूर्वजों से प्राप्त पैतृक संपत्ति है, जिसमें रतनलाल पुत्र औंकार के हिस्से के वारिस वादीगण रेस्पोडेंट कम 8 लगायत 11 कमशः देवीसिंह, गजराज सिंह, विनोद कुमार, गब्बर सिंह पुत्रगण के साथ चमेली, आशावती एवं सुखी उर्फ रानी पुत्रियां कुल 7 वारिस थे, परंतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद चारों पुत्र के द्वारा स्वयं को उनके पिता के हिस्से का अधिकारी बता कर पेश किया गया है, तीनों बहनों को न तो वादी बनाया, और न ही प्रतिवादी बनाया है, जबकि तीनों बहिनें

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी के साथ–साथ पिता की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी व नालिशी है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को अपीलांट एवं अन्य बहिनों को वाद में पक्षकार बनाया जाकर पुनः सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तनकी नं. 5 में अंकित किया है कि वादीगण की 3 बहिनें भी है। किन्तु वादी ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है नोन पोंइटर ऑफ प्रोपर्टी का दोष होने से दावा निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तनकी नं. 5 का विवेचन कर अंकित किया कि इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 1 पर था। प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण की तीन बहिनें और होना बताया है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश कर लड़कियों को पक्षकार बनाया जा सकता था। वादीगण अपने हिस्सा 1/3 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। इस प्रकार जब अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आ गया कि वादीगण के तीन और बहिनें भी है जिनके द्वारा हकत्याग नहीं किया गया है, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में पुत्रियों को भी पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त हैं। पुत्रों के समान पुत्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं। सभी विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधिक रूप से न्यायोचित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट व रतनलाल के अन्य वारिस (पुत्रियां) सभी को पक्षकार बनाकर प्रकरण में नये सिरे से, सुनवाई का सुमचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत रूप से प्राथमिक डिक्री जारी करें। तत्पश्चात राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा